

बिहार सरकार
विधि विभाग

(47) (36)

ज्ञाप संख्या-बी0/स्था(मुकदमा)-18-03/2011-993/जे0, पटना, दिनांक 25/10/11

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पचारिक रूप
परामर्शित

* वित्त विभाग ।

विषय:- बिहार राज्य मुकदमा नीति के कंडिका 2.2(बी) में निहित प्रावधान के आलोक में सम्पर्क कार्यालय, विधि विभाग, नई दिल्ली में अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी का एक पद एवं उनके स्थापनान्तर्गत वर्ग-3 एवं 4 के आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत ।

2. उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार ने बिहार राज्य मुकदमा नीति के कंडिका 2.2(बी) में निहित प्रावधान के आलोक में सम्पर्क कार्यालय, विधि विभाग, नई दिल्ली में अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी के स्थापनान्तर्गत वर्ग-3 एवं 4 के निम्नलिखित पदों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमान में आदेश की निर्गत तिथि से सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है :-

क्र०	पद का नाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर का अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी	51550-1230-58930 -1380-63070	1	-----
2.	बिहार सचिवालय सेवा का प्रशाखा पदाधिकारी	पी0बी0-2-5400	1	-----
3.	बिहार सचिवालय सेवा का सहायक	पी0बी0-2-4600	2	-----
4.	उच्च वर्गीय लिपिक	पी0बी0-1-2400	1	-----
5.	निम्न वर्गीय लिपिक	पी0बी0-1-1900	1	-----
6.	कार्यालय परिचारी	8900/-	2	संविदा पर

उक्त पदों पर सृजन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कुल अनुमानित स्थापना व्यय रु0 31,10,232/- (इकतीस लाख दस हजार दो सौ बत्तीस) रुपये का भारित होगा, एतद्संबंधी व्यय विवरणी परिशिष्ट-'क' एवं 'ख' के रूप में संलग्न है।

3. पद धारक को मूल वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

4. व्यय का वहन गैर योजना बजटशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उपशीर्ष-0001-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता अंतर्गत वेतन एवं भत्ते विषय शीर्ष से भारित होगा।

46 35

5. स्थापना व्यय की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, संपर्क कार्यालय, नई दिल्ली, बिहार भवन होंगे तथा इसकी निकासी लेखाधिकारी का कार्यालय, 5, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली से होगी।

6. उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव में दिनांक 18.10.2011 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं0-20 में स्वीकृति प्राप्त है।

अनु0- व्यय विवरणी

(परिशिष्ट-‘क’ एवं ‘ख’)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-...../जे0,

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति सहित लेखा पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार भवन, 5, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथाकथित ।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-...../जे0,

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति सहित प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ स्थानिक आयुक्त, प्रभारी सम्पर्क कार्यालय बिहार भवन, नई दिल्ली/ महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना/ वित्त विभाग, पटना एवं बजट शाखा, विधि विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथाकथित ।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-...../जे0,

पटना, दिनांक ...15/10/11.....

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति सहित महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(20/10/11)

(विनोद कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव, बिहार।

31/10/11
15/10/11